यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,देहरादूनके माह 11/2019 से 10/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री दीपक मालवीय, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी,श्री जी॰ के॰ बत्रा ,पर्यवेक्षक एवं श्री सत्यबीर सिंह,सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (तदर्थ) द्वारा दिनांक 09/11/2020 से 12/11/2020 एवं 17/11/2020 से 21/11/2020 तक श्री सुधीर श्रीवास्तव,वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के अंशकालीन पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस खंड की विगत लेखापरीक्षा श्री दीपक मालवीय, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री मनीष श्रीवास्तव,सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी एवं श्री सत्यबीर सिंह,लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 14.11.19 से 26.11.19 तक श्री विभास चन्द्र मुखर्जी, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित की गई एवं लेखा परीक्षा में माह 11/2018 से 10/2019 तक के लेखों की लेखा परीक्षा संपादित की गई थी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून** के अंतर्गत जनपद देहरादून की तहसील देहरादून के अन्तर्गत होने वाले सड़क एव सेतु के नव निर्माण कार्य एवं मरम्मत कार्य ।

   (ii)(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)		बचत/समर्पण (-)	
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	स्थापना	गैर स्थापना	स्थापना	गैर स्थापना
2018-19	-	-	-	-	5227.73	5239.87	-	-	-	12.14
2019-20	-	-	-	-	3657.11	3315.00	-	-	-	342.11
2020-21 (upto Jul 20)	-	-	-	-	2711.18	2308.05	-	-	-	403.13

टिप्पणी: वर्षांत में अवशेष धनराशि शासन को समर्पित कर दी जाती है।

(ii)(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(`लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	अधिक्य(+)	बचत(-)
2018-19	-	-	-	-	-	-
2019-20						
2020-21 (10/20 तक)	केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत एम डी आर-3 सेंट ज्यूडस चौक पर सड़क सुरक्षा हेतु रोड मर्किंग एवं साइनेज द्वारा चौराहे के सुधारिकरण का कार्य		20.04	20.04	-	-
	केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत आई टी पार्क एम डी आर-11 देहरादून (चेनेज 10.800 से 11.752) पर सड़क सुरक्षा हेतु रोड मर्किंग एवं साइनेज द्वारा चौराहे के सुधारिकरण का कार्य		0.00	2.70	2.70	
	केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत प्रतीतपुर चौक एम डी आर-3 (एम बी एस डी) पर सड़क सुरक्षा हेतु रोड मर्किंग एवं साइनेज द्वारा चौराहे के सुधारिकरण का कार्य		118.00	106.52	0.00	11.48
	केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत धर्मावाला चौक एम डी आर-3 (एम बी एस डी) पर सड़क सुरक्षा हेतु रोड मर्किंग एवं साइनेज द्वारा चौराहे के सुधारिकरण का कार्य		87.00	22.47	0.00	64.53

(iii) इकाई को बजट आवंटन केंद्र शासन एव राज्य शासन द्वारा किया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए **इकाई “A” श्रेणी** की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव, लोक निर्माण, उत्तराखण्ड शासन

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,लोक निर्माण विभाग,उत्तराखण्ड, देहरादून

क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता स्तर-1,लोक निर्माण विभाग,देहरादून

अधीक्षण अभियन्ता,नवम वृत, लोक निर्माण विभाग,देहरादून

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग,देहरादून

3. लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,देहरादून** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षो पर आधारित है। माह **06/2020** को विस्तृत जांच हेतु एवं **राज्य योजना के अंतर्गत जनपद देहरादून मे विधानसभा सहसपुर के अंतर्गत तीपरपुर से पीरवाला मार्ग, तिपरपुर से झाड़ावाला बस्ती मार्ग, श्रीराम कालेज से हिमाचली बस्ती मार्ग तथा शीशमबारा से चंकमनसा मार्ग एवं नाली निर्माण** को विस्तृत विश्लेषण हेतु चयनित किया गया।

4. लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2017 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

5. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में खंड का **निरीक्षण नहीं** किया गया।

6. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी माह **09/2020** तक की गई।

7. फार्म 51: माह 03/2019 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैः-

भाग प्रथम ` (-) 383940.00

भाग द्वितीय ` 783552.00

8. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 10/2020 के अन्त में

(क)	प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम	`1172205.00
(ख)	सामग्री क्रय	शून्य
(ग)	नगद परिशोधन	शून्य
(घ)	निक्षेप	` 175904491.00
(ङ)	भण्डार	` (-)736452.00

भाग-II (ब)

प्रस्तरः01- विभागीय उदासीनता के फलस्वरूप अपूर्ण निर्माण कार्य पर बगैर स्वीकृति के अनियमित व्यय ` 51.07 लाख

मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र धरमपुर के अंतर्गत वार्ड संख्या -47 एवं आंगल भट्टा की आंतरिक सड़कों एवं नाली निर्माण का कार्य (अवशेष कार्य भाग 1 एवं 2) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति फरवरी 2016 मे 4.15 किमी लंबाई मे कार्य हेतु `405.77 लाख की प्रदान की गयी थी। कार्य की प्राविधिक स्वीकृति भी उक्त राशि एवं उक्त किमी हेतु ही सितम्बर 2016 मे प्रदान की गयी थी। कार्य निष्पादन हेतु भाग -01 के कार्य हेतु अनुबंध संख्या 36/एस ई-9/2016-17 लागत **र** 194.46 लाख एवं भाग-02 के कार्यो हेतु अनुबंध संख्या 37/एस ई-09/2016-17 लागत `195.32 लाख के दिनांक 11.11.16 को गठित किए गए थे जिनके अंतर्गत कार्य नवम्बर 2017 मे समाप्त किए जाने थे।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून के अभिलेखो की जांच (नवम्बर 2020) मे पाया गया कि प्राप्त प्राविधिक स्वीकृति `405.77 लाख के सापेक्ष कार्य निष्पादन हेतु गठित अनुबन्धो के अंतर्गत कुल `281.03 लाख (अनुबंध संख्या 36/एस ई के अंतर्गत `127.27 लाख एवं अनुबंध संख्या 37/एस ई के अंतर्गत `153.76 लाख) का भुगतान ठेकेदारो को किया गया था जबकि कार्य पर अतिरिक्त `51.07 लाख का भुगतान अतिरिक्त भारित किए जाने के उपरांत प्राप्त प्राविधिक स्वीकृति के सापेक्षमात्र `73.67 लाख की धनराशि ही अवशेष थीएवं 10 कार्य मदों मे `109.47लाख **(विवरण संलग्न)** के कार्य वर्तमान तक अपूर्ण थे। खंड न तो उक्त अतिरिक्त व्यय से संबन्धित कोई अभिलेख लेखा परीक्षा को उपलब्ध करा सका था एवं न ही खंड द्वारा उक्त अतिरिक्त व्यय के उपरांत लंबित कार्यो के सापेक्ष कम बची राशि का संज्ञान लेते हुए कोई कार्यवाही की गयी थी।

उपरोक्त के संबंध मे इंगित किए जाने पर खंड द्वारा उत्तर दिया गया कि इंगित निर्माण कार्य मे स्थल की आवश्यकतानुसार आकस्मिक मद मे कुछ कार्य अतिरिक्त कराये गए है जिन पर इंगित राशि व्यय की गयी है एवं कार्य की क्रमिक प्रगति के साथ होने वाली बचत से कार्य स्वीकृत लागत के अंतर्गत ही पूर्ण करा लिए जायेंगे। खंड के उत्तर तर्क संगत नहीं था क्योकि अतिरिक्त कराये गए कार्यो पर व्यय के पूर्व प्राप्त सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अथवा अन्य संबन्धित अभिलेख खंड उपलब्ध नहीं करा सका था एवं कार्य वर्तमान तक अपूर्ण रहने के कारण भविष्य मे होने वाली बचत को आधार बना कर अतिरिक्त आवश्यक धनराशि की प्राप्ति हेतु खंड द्वारा कोई प्रयास न किया जाना कार्य के प्रति खंडीय उदासीनता को दर्शाता था।

अतः बगैर स्वीकृति के अनियमित व्यय `51.07 लाख व्यय के उपरांत समाप्ति अवधि के तीन वर्षो के उपरांत भी कार्य अपूर्ण रहने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

तालिका 1

आगणन/गठित अनुबन्धों के अन्तर्गत अपूर्ण कार्यों का विवरण

निर्धारित मद की क्रम संख्या	आगणन के अनुसार निर्धारित	36/एस ई मे निर्धारित	वास्तव मे निष्पादित	37/एस ई मे निर्धारित	वास्तव मे निष्पादित	कुल निष्पादित	अवशेष मात्रा * दर	Required Amount
1	**672**	**512**	**180**	**160**	**160**	**340**	**332*1665**	**552780**
2	**331**	**58**	**58**	**273**	**173**	**231**	**100*1995**	**199500**
3	**1597**	**728**	**585**	**888**	**751**	**1336**	**261*4650**	**1213650**
4	**8601**	**2177**	**2246**	**6608**	**4083**	**6329**	**2272*674**	**1531328**
5	**2253**	**1375**	**887**	**796**	**869**	**1756**	**497*6604**	**3282188**
6	**1957**	**972**	**138**	**985**	**942**	**1080**	**877*942**	**826134**
7	**2961**	**1779**	**615**	**1278**	**185**	**800**	**2161*244**	**527284**
8	**779**	**401**	**231**	**376**	**221**	**452**	**327*5757**	**1882539**
9	**2665**	**1422**	**835**	**1243**	**882**	**1717**	**948*179**	**169692**
10	**23**	**14**	**14**	**10**	**10**	**-**	**-**	**-**
11	**148**	**71**	**67**	**77**	**79**	**-**	**-**	**-**
12	**162**	**29**	**26**	**230**	**Nil**	**26**	**136*5605**	**762280**
13	**28**	**16**	**14**	**11**	**11**	**-**	**-**	**-**
Total required amount to complete the work								**10947375**

भाग-II (ब)

प्रस्तरः2- अनुबंध गठन मे विलंब के फलस्वरूप `125.51 लाख के व्यय के उपरांत भी कार्य अपूर्ण रहने के कारण कार्य उद्देश्यों की पूर्ति न होना

राज्य योजना के अंतर्गत जनपद देहरादून के विकास खंड विकासनगर के अंतर्गत डुमेट हडोवाला चिलियों मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधारीकरण कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति 4.500 किमी लंबाई मे कार्य निष्पादन हेतु `212.23 लाख की अप्रैल 2018 प्राप्त हुई थी कार्य की प्राविधिक उक्त किमी एवं उक्त राशि हेतु ही मई 2018 मे प्रदान की गयी थी।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून मे कार्य निष्पादन से संबन्धित अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि कार्य-निष्पादन अधीक्षण अभियंता स्तर का एक अनुबंध संख्या 65/एसई-09/2018-19 दिनांक 15.02.19 को लागत `200.25 लाख का गठित किया गया थे जिसके अंतर्गत कार्य फरवरी 2020 मे पूर्ण किया जाना निर्धारित था।

संप्रेक्षा अवधि (10/2020) तक कार्य पर `103.91 लाख का भुगतान किए जाने हेतु चतुर्थ भुगतान देयक ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किया गया था एवं समाप्ति की निर्धारित अवधि के 09 माह के उपरांत अनुबंध के सापेक्ष कार्य की भौतिक प्रगति मात्र 51 प्रतिशत थे जो कार्य की धीमी प्रगति का घोतक था। आगे अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि संप्रेक्षा अवधि तक ठेकेदार द्वारा निर्धारित कार्य मदों के सापेक्ष `63.72लाख के कार्यो का निष्पादन नहीं किए जाने के उपरांत भी खंड द्वारा कार्य की प्रगति बढ़ाने के संबंध मे न तो ठेकेदार से कोई पत्राचार इत्यादि की कार्यवाही की गयी थी एवं न ही ठेकेदार द्वारा अतिरिक्त निष्पादित**concrete with cement,coarse sand and 40 mm gauge stone blast** की प्रावधानित मात्रा 114 घनमीटर के सापेक्ष 123.36 घनमीटर(अतिरिक्त निष्पादित 9.36 **cum@**3500/-) एवं **Random rubble stone masonry laid in 1:6 cement and sand mortar** की प्रावधानित मात्रा 1743 के सापेक्ष 2099.69 घनमीटर (अतिरिक्त निष्पादित 356.69 **cum @** 3070) हेतु किए गए अतिरिक्त भुगतान `11.26 लाख के संबंध मे सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की गयी थी।

उपरोक्त के संबंध मे इंगित किए जाने पर खंड द्वारा उत्तर दिया गया कि कार्य शीघ्र पूर्ण करने हेतू ठेकेदार से पत्राचार किया जा रहा है तथा कार्य सम्पादन मे प्रगति के साथ अवशेष कार्य स्वीकृत लागत के अंतर्गत ही पूर्ण करा लिए जाएँगे, अतिरिक्त भुगतान के संबंध मे खंड द्वारा उत्तर दिया गया कि कार्य सम्पादन के समय अनुबंध की कुछ मदों मे कार्यस्थल की आवशक्यताअनुसार आधिक्य हुआ है जिससे संबन्धित विचलन प्रपत्र कार्य पूर्ण होने के उपरांत सक्षम अधिकारी से अनुमोदित कराया जाएगा। खंड के उत्तर से स्वतः स्पष्ट था कि कार्य निष्पादन मे विलंब होने, अतिरिक्त भुगतान एवं अवशेष राशि के कार्य न होने का संज्ञान होने पर भी खंड द्वारा आवश्यक कार्यवाही न किए जाने के फलस्वरूप कार्य संप्रेक्षा अवधि तक अपूर्ण था एवं खंड अपने उत्तर के समर्थन मे कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करा सका था।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-II (ब)

प्रस्तरः03- ठेकेदारो के देयकों से रायल्टी की कटौती न किए जाने के फलस्वरूप राजस्व क्षति ` 13.92 लाख।

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-2 के पत्रांक संख्या 162/VII-II-13/24-ख/2007 दिनांक 18.01.2013 तथा उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-1 के पत्रांक संख्या 842/VII-1/2016/24-ख/2007 दिनांक 19.05.2016 के अनुसार निर्माण कार्यों में नदी तल अथवा भिन्न स्थानों से ली जाने वाली निर्माण सामग्री की स्वामित्व (रायल्टी) की कटौती करके नियमानुसार संम्बन्धित लेखा शीर्ष में जमा कराई जानी चाहिए। लोक निर्माण विभाग में प्रचलित प्रथा के अनुसार ठेकेदारों द्वारा बिलों के साथ निर्माण कार्यों में प्रयुक्त उपखनिजों की मात्रा के सापेक्ष प्रपत्र "J" उपलब्ध करवाए जाते है जिनके आधार पर रॉयल्टी की छूट प्रदान की जाती है।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून के चयनित माह (जून 2020) की रोकड़ बही एवं बिल/वाऊचरों की नमूना जाँच में पाया गया कि इकाई द्वारा ठेकेदारों के बिलों से निर्माण कार्यों में प्रयुक्त उपखनिजों के सापेक्ष रॉयल्टी की कटौतियाँ नहीं की गयी है जबकि उपरोक्त के सम्बन्ध में ठेकेदारों द्वारा उक्त कार्यों में प्रयुक्त उपखनिजों के सापेक्ष कोई भी आवश्यक प्रपत्र (Form J or MM-11) उपलब्ध नहीं करवाए गए थे। विवरण निमन्वत है-

क्र. सं.	ठेकेदार का नाम	अनुबंध संख्या	वाऊचर संख्या (जून 2020)	आगणित रॉयल्टी की धनराशि	देयक से काटी गयी रॉयल्टी की धनराशि/ प्रस्तुत प्रपत्र	कम काटी गयी धनराशि
1.	M/s Doon infra	67/SE-9/2018-19	09/02-06-20	233663.00	0	233663.00
2.	Shri rama gupta	16/SE-9/2019-20	11/02-06-20	110886.00	0	110886.00
3.	M/s V K Agrawal	13/SE-9/2019-20	14/02-06-20	384554.00	0	384554.00
4.	Shri Prashant Rathi	009/AE-2nd	15/02-06-20	30855.00	0	30855.00
5.	M/s Shivangi Ass.	10/SE-9/2019-20	97/15-06-20	165865.00	149117.00	16748.00
6.	Shri Vjay pal singh rana	224/AE/2018-19	99/15-06-20	14253.00	0	14253.00
7.	M/s Virendra kumar and sons	36/SE-9	156/15-06-20	166122.00	0	166122.00
8.	Shri Rakesh kumar	28/SE-9/2019-20	157/16-06-20	329897.00	0	329897.00
9.	Shri Vijay singh panwar	34/SE	158/16-06-20	54124.00	0	54124.00
10.	M/s Parag jain	22/SE-9/2019-20	163/16-06-20	51232.00	0	51232.00
			Total =	**1541451**	**149117.00**	**1392334.00**

उपरोक्त के संबंध मे इंगित किए जाने पर खंड द्वारा उत्तर दिया गया कि देयकों से संबन्धित प्रपत्र प्राप्त करके लेखा परीक्षा को प्रेषित कर दिया जाएगा। खंड के उत्तर से स्पष्ट था कि

संबन्धित ठेकेदारो द्वारा प्रस्तुत देयकों मे प्रयुक्त उपखनिजों के सापेक्ष कोई भी आवश्यक प्रपत्र (Form J or MM-11) उपलब्ध नहीं करवाए जाने के उपरांत भी आवश्यक कटौती न किए जाने के कारण ` 13.93 लाख राजस्व क्षति हुई थी।

अतः ` 13.93 लाख की राजस्व क्षति का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तरः01- दायित्व का सृजन `29.93 लाख।

राज्य योजना के अंतर्गत जनपददेहरादून मे चार निर्माण कार्यो की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति `861.93 लाख की 2017 से 2019 के मध्य प्राप्त हुई थी। उक्त कार्य योजनाओ हेतु प्राविधिक स्वीकृति भी उक्त राशि हेतु ही वर्ष 2017 से 2019 के मध्य प्रदान की गयी थी। विवरण निम्नवत है-

क्रम संख्या	कार्य का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का वर्ष /राशि	तकनीकी स्वीकृति का वर्ष /राशि	कुल भुगतान	अवशेष भुगतान
1	कारबारी ग्रांट (साइलोक कॉलोनी), गणेशपुर (रघुनाथ पुर), तथा शिवराज नगर मे मार्ग एवं नाली निर्माण	मार्च 2019/185.38 लाख	मई - 2019/185.38 लाख	161.80 लाख	23.58 लाख
2	हरबर्टपुर मे कोर्ट रोड का सुदृढ़करण एवं शोल्डर का निर्माण	मई-018/221.28 लाख	मई 2018/221.28 लाख	175.27 लाख	46.01 लाख
3	सहसपुर मे ग्राम चोयला चंद्रबनी यूनियन बैंक से पित्थुवाला खुर्द तक संपर्क मार्ग निर्माण	दिसम्बर 2017/265.97 लाख	मार्च - 2018/265.97	217.82 लाख	48.15 लाख
4	बल्लीवाला चौक से अनुराग नर्सरी तक, बल्लीवाला चौक से कावली पुल तक मार्ग के दोनों ओर नाली निर्माण एवं सुधार	जून-2017/189.30 लाख	दिसम्बर-2017/189.30 लाख	162.00 लाख	27.06 लाख
	कुल अवशेष भुगतान				144.80 लाख

कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून मे उक्त कार्यो से संबन्धित अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि उक्त कार्यो हेतु शतप्रतिशत प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत भी खंड द्वारा `761.48 लाख लागत के अनुबंध गठित किए जाने एवं शतप्रतिशत भौतिक प्रगति प्राप्त होने के उपरांत उक्त कार्यो हेतु प्रस्तुत देयकों के अनुसार कार्य पर कुल भुगतान `731.55 लाख का किया गया था जिसके फलस्वरूप खंड द्वारा सम्पूर्ण भुगतान न किए जाने के कारण `29.93 लाख का दायित्व सृजित किया गया था।

उपरोक्त के संबंध मे इंगित किए जाने पर खंड द्वारा उत्तर दिया गया कि कार्यो पर धन की मांग की गयी है, धनावंटन प्राप्त होने पर देयकों का भुगतान कर दिया जाएगा। खंड का उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योकि संप्रेक्षा अवधि तक लंबित भुगतान हेतु खंड अपने स्तर से धनावंटन हेतु की गयी कार्यवाही के अभिलेख लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं करा सका था जो कि इंगित करता था कि त्वरित कार्यवाही के अभाव मे खंड द्वारा `29.93 लाख का दायित्व सृजित किया गया था।

अतः `29.93 लाख का दायित्व सृजित किये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग –III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्रम संख्या	लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन सं0/ वर्ष	अनिस्तारित प्रस्तर	
		भाग दो – अ	भाग दो – ब
1	126/2003-04	-	3,4
2	47/2005-06	1,2	1
3	40/2006-07	3,4	-
4	29/2007-08	1,2,3,4	-
5	59/2008-09	2	2
6	51/2009-10	1	-
7	79/2010-11	2,3	1,2
8	85/2011-12	-	1,2
9	52/2012-13	1,2,3	-
10	56/2013-14	2	-
11	22/2014-15	-	2,4
12	31/2015-16	-	1,2,3,4,5,6,7
13	60/2016-17	-	1,2,3
14	48/2017-18	-	1
15	75/2018-19	-	1
16	85/2019-20	1	1,2,3

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
			खण्ड द्वारा उपरोक्त वर्णित प्रस्तरों के अभिलेख लेखापरीक्षा को अवलोकित कराये गए जो की अद्यतन नहीं थे।	

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.......शून्य......

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग,देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः **शून्य**

2. सतत् अनियमितताएः **शून्य**

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

नाम	**पदनाम**	**अवधि**
श्री राजेश कुमार	अधिशासी अभियंता	विगत लेखा परीक्षा से वर्तमान तक

4. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित खंडीय लेखाधिकारी खंड से सम्बद्ध रहे-

नाम	**पदनाम**	**अवधि**
श्री बलदेव	वरिष्ठ खंडीय लेखाधिकारी	विगत लेखा परीक्षा से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार/ (AMG-II) को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
ए.एम.जी.-II (Non-PSU)